कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद भदोही

सी.यू.जी. – 9454400307, दूरभाष- 05414-250236, ई-मेल- spsrn-up@nic.in

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद भदोही **दिनांक 19.11.2025**

श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.11.2025 को **श्री शुभम अग्रवाल,** अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में थाना औराई पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना औराई क्षेत्र अंतर्गत मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का सफल अनावरण करते हुए एकांत स्थानों के टावरों से बैटरी चोरी करने वाले शातिर चोरों के संगठित गिरोह के 04 अभियुक्त थाना औराई क्षेत्र अन्तर्गत उपरौठ नहर के पास से गिरफ्तार, **कब्जे से चोरी की 07 अदद टूटी-फूटी टावर की बैट्री व 04 अदद बैट्री TESLA POWER, USA पावर केविल, छोटे-छोटे टुकड़ों में कापर का तार व दो अदद मोटरसाइकिल बरामद किया** गया। गिरोह द्वारा जनपद भदोही अन्तर्गत विभिन्न मोबाइल टावरों से चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था।

पूर्व की घटनाओं का संक्षिप्त विवरण-:

दिनांक 16.10.2025 को ग्राम नरथुआ स्थित टावर से 20 मीटर पावर केबल, दिनांक 14.11.2025 की रात्रि में जियो टावर ग्राम तिऊरी से 25 मीटर के करीब पावर केबल व दिनांक 07.04.2025 को उपरौठ टावर से अजना कार्ड, सिपरी केबल, जम्फर केबल आदि व दिनांक 25.09.2025 की रात्रि में ग्राम कलीपुर प्रजापति बस्ती थाना क्षेत्र ऊंज जनपद भदोही में चोरी किये थे। उपरोक्त चोरी किये गये सामान राकेश जायसवाल व अनुराग जायसवाल के कबाड़ के दुकान पर बेच दिये थे। दिनांक 14/15.11.2025 की रात्रि में थाना औराई क्षेत्र अंतर्गत औरंगाबाद टावर से 11 बैटरी चोरी के संबंध में वादी मुकदमा श्री कुलदीप मिश्रा की सूचना पर थाना औराई पर मु0सं0सं0 491/2025 धारा 305(a), 331(4) बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित की गई।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी का विवरण-:

श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.11.2025 को **श्री शुभम अग्रवाल,** अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण व **श्री चमन सिंह चावड़ा,** क्षेत्राधिकारी औराई के नेतृत्व में थाना औराई पुलिस टीम द्वारा दिनांक 14/15.11.2025 की रात्रि में थाना औराई क्षेत्र अंतर्गत औरंगाबाद टावर से 11 बैटरी चोरी हुई थीं। उसके संबंध में मुखबिरी सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति उपरौठ नहर के पास चोरी की गई बैटरी को राकेश जायसवाल कबाड़ी को बेचकर दुकान के अन्दर बैटरी को तोड़-फोड़ कर उसके अन्दर से कीमती कापर के वायर निकाल रहे है। इस सूचना पर मु0अ0सं0 491/2025 धारा 305(a), 331(4) बी0एन0एस0 थाना औराई के वादी मुकदमा श्री कुलदीप मिश्रा को सूचित करते हुए चारों तरफ से राकेश कबाड़ी वाले की दुकान को घेर कर 04 व्यक्तियों 1.राकेश जायसवाल पुत्र स्व0 काशीनाथ जायसवाल निवासी उपरौठ थाना औराई जनपद भदोही उम्र 50 वर्ष 2.अनुराग जायसवाल पुत्र राकेश जायसवाल निवासी उपरौठ थाना औराई जनपद भदोही उम्र 20 वर्ष 3.जैश शर्मा पुत्र रमेशचन्द्र शर्मा निवासी नागमलपुर पाली थाना सुरियावां जनपद भदोही उम्र 23 वर्ष 4.अभिषेक सिंह पुत्र स्व0 सतीश सिंह निवासी उपरौठ थाना औराई जनपद भदोही उम्र 24 वर्ष को उनके इस कृत्य जुर्म धारा 305(1), 331(4), 317(2), 317(4), 317(5),112(2) बी0एन0एस0 का दण्डनीय अपराध से बोध कराते हुये समय करीब 23.30 बजे उपरौठ नहर के पास

से गिरफ्तार किया गया। इन घटनाओं में संलिप्तता व इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-:

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि दिनांक 14/15.11.2025 की रात्रि में मोटरसाइकिल पर सवार होकर हम तीनों (अभिषेक सिंह , जैश शर्मा व मनीष सिंह) द्वारा 11 बैट्री औरंगाबाद ALTS कम्पनी के टावर से चोरी करके राकेश जायसवाल व अनुराग जायसवाल के कबाड़ की दुकान पर बेच दिये थे। एक व्यक्ति अंधेरे व रात्रि का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। जिसका नाम पता पकड़े गये व्यक्तियों से पूछा गया तो उसका नाम मनीष सिंह पुत्र अंजय सिंह निवासी संवरा थाना औराई जनपद भदोही बतायें। हम लोगों का चोरी करने का एक संगठित गिरोह है। हम लोग अलग-अलग स्थानों से के कई मोबाईल टावरों से कई बार चोरी किये है। चोरी किए गए सामग्री को बेचने से जो पैसा मिला उसको हम लोग बराबर हिस्सों में बांट लिये थे।

अपराध करने का तरीका-:

पेशेवर तरीके से संगठित होकर अपने आर्थिक, भौतिक लाभ हेतु जनपद भदोही के विभिन्न क्षेत्रों में मोटरसाइकिल से घुम फिर कर टावरों को दिन में चिन्हित करते है और रात में एकांत व अंधेरा का फायदा उठाकर टॉवरों से किमती पार्ट्स जैसे अजना कार्ड, बैटरी आदि की चोरी कर बिक्री करतें हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-:

1.राकेश जायसवाल पुत्र स्व0 काशीनाथ जायसवाल निवासी उपरौठ थाना औराई जनपद भदोही उम्र 50 वर्ष

2.अनुराग जायसवाल पुत्र राकेश जायसवाल निवासी उपरौठ थाना औराई जनपद भदोही उम्र 20 वर्ष

3.जैश शर्मा पुत्र रमेशचन्द्र शर्मा निवासी नागमलपुर पाली थाना सुरियावां जनपद भदोही उम्र 23 वर्ष

4.अभिषेक सिंह पुत्र स्व0 सतीश सिंह निवासी उपरौठ थाना औराई जनपद भदोही उम्र 24 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक सिंह पुत्र स्व0 सतीश सिंह का अपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 153/2021 धारा 323,325, 504, 506 भादवि थाना औराई जनपद भदोही।

2.मु0अ0सं0 393/2025 धारा 115(2), 309(4), 324 (4), 333, 351(2),352 बीएनएस थाना औराई जनपद भदोही।

3.मु0अ0सं0 480/2025 धारा 115(2), 191(2), 351(3), 352 बीएनएस थाना औराई जनपद भदोही।

वांछित अभियुक्त का नाम व पता:-

1.मनीष सिंह पुत्र अंजय सिंह निवासी संवरा थाना औराई जनपद भदोही

बरामदगी का विवरण-:

अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 07 अदद टूटी-फूटी टावर की बैट्री व 04 अदद बैट्री TESLA POWER, USA पावर केविल, छोटे-छोटे टुकड़ों में कापर का तार व दो अदद मोटरसाइकिल बरामद

पंजीकृत अभियोग का विवरण-:

मु0सं0सं0 491/2025 धारा 305(a), 331(4) बी0एन0एस0 बढ़ोतरी धारा 317(2), 317(4), 317(5),112(2) बी0एन0एस0 थाना औराई जनपद भदोही

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-:

1.प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार, उ0नि0 विजय कुमार सरोज चौकी प्रभारी उगापुर, उ0नि0 मोती सिंह यादव चौकी प्रभारी घोसिया, हे0का0 फसीहुजमा सिद्दिकी

कां0भूपेन्द्र राय, कां0 विनीत सिंह, कां0 रंजीत सिंह कां0 पवनेश राय थाना औराई जनपद भदोही।